



// कार्यालय-ज्ञाप //

विश्वविद्यालय में कार्यरत समस्त शिक्षकवृन्द को सूचित किया जाता है कि कैरियर एडवांसमेन्ट योजनान्तर्गत (CAS) प्रोन्नति हेतु अपनी अर्हता की तिथि से 03 माह पूर्व अपना आवेदन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रोन्नति के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विनियमन-2018 में निर्धारित 'प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन प्रणाली' (PBAS) के अनुरूप विकसित प्रारूप को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत प्रधान विनियमन-2010 तथा उसके समस्त अनुवर्ती संशोधन विश्वविद्यालय की वेबसाइट <http://dsmru.up.nic.in> पर उपलब्ध है, जिसके माध्यम से शिक्षकवृन्द यू0जी0सी0 के प्रधान विनियमन-2010 अथवा उसके अनुवर्ती संशोधनों में प्राविधानित (PBAS) प्रारूप को अपनी आवश्यकतानुसार डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी शिक्षक द्वारा पूर्व में आवेदन किया गया है तो उन्हें दुबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।


उपरोक्तानुसार सम्बन्धित प्रारूप में समस्त प्राविष्टियों को पूर्ण रूप से भरने के उपरान्त शिक्षकवृन्द अपना आवेदन सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष से अग्रसारित कराते हुए स्वः मूल्यांकित प्रतिवेदन की स्पाइरल बाइंडिंग की 05 प्रतियाँ दिनांक 15.09.2021 तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित करें।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मा0 कुलपति महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
3. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
4. सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. स्थापना अनुभाग, विश्वविद्यालय।


6.9.2021
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव